



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-66

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 266955 दिनांक 14/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Asha Devi S/o Rajendra Kumar	श्री सुरज मल बैरवा पुत्र श्री राम देव बैरवा	57	155.88 SQ. YARD	Private	RAM NAGAR (GANESH PATH,TAGO RE PATH,GAUT AM PATH) Sector/Block-	Sub Division and Reconstit ution	श्री सुरज मल बैरवा पुत्र श्री राम देव बैरवा ने उक्त भूखण्ड संख्या- 57 क्षेत्रफल 155.88 वर्गगज में से क्षेत्रफल 77.94 वर्गगज को पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 10.02.2023 के द्वारा श्रीमती गौरी देवी पत्नी श्री रामकिषन बैरवा व आषा देवी पत्नी श्री अमर चन्द के पक्ष में उपहार किया गया है। तत्पश्चात् श्रीमती गौरी देवी पत्नी श्री रामकिषन बैरवा व आषा देवी पत्नी श्री अमर चन्द ने भी उक्त भूखण्ड 57 का उत्तरी हिस्सा क्षेत्रफल 77.94 वर्गगज को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.10.2025 के द्वारा श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार के पक्ष में बैचान किया गया है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Asha Devi S/o Rajendra Kumar को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।